झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–236 वर्ष 2017

काशी नाथ रजक, पे0 दीपलाल रजक, निवासी–हर्ष विहार, सूर्यदेव नगर, सरायढ़ेला, डाकघर एवं थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद ....

याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

2. उप–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

3. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, धनबाद डिवीजन, डाकघर, थाना एवं जिला–रांची।

5. श्री मुकेश कुमार, निवासी–कनिष्ठ अभियंता कार्यालय, कार्य प्रभाग, जामा ग्रामीण, वर्क्स डिवीजन दुमका, डाकघर, थाना एवं जिला–दुमका। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए :– श्री मनोज कुमार, एस0सी0 (खान)

उत्तरदाता संख्या 5 के लिए :– श्री किशोर कुमार सिंह, अधिवक्ता

04/03.03.2017 विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार सिंह द्वारा प्रतिवादी सं0 5 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतियाँ याचिकाकर्त्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को पहले ही तामील की जा चुकी है। अभिलेख में रख दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता, जो सेवा से दिनांक 31.10.2017 को सेवानिवृत होने वाले हैं, को दिनांक 11.01.2017 के एक आदेश द्वारा कार्य स्टेशन, टुंडी (धनबाद) से मनोहरपुर, चक्रधरपुर (पश्चिम सिंहभूम) में स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्त्ता अपनी सेवा के अंतिम छोर पर जारी किए गए अपने स्थानांतरण आदेश से दुखी हैं।

3. प्रतिवादी राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 03.06.2013 से टुंडी, धनबाद जिले में दस साल से अधिक समय से पदस्थापित है। प्रतिवादी सं0 5 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चार महीने को छोड़कर, वह वास्तव में, 2005 से टुंडी में रहे हैं। प्रत्यर्थी सं0 5 की ओर से यह प्रतिवाद किया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 11.01.2017 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए अपने स्थानांतरण आदेश के बाद ही अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपनी सेवानिवृति के बहाने वह उसी पद पर अपनी सेवानिवृति तक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

4. राज्य और प्रतिवादी सं0 5 की ओर से दायर जवाबी हलफनामों में, दिनांक 24.01.2017 के आदेश में दर्ज याचिकाकर्त्ता के प्रस्तुतीकरण पर विवाद नहीं किया है। यह निवेदन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कोई शिकायत हुई है।

वास्तव में, प्रतिवादी सं0 5 को दिनांक 24.01.2017 की अधिसूचना द्वारा टुंडी स्थानांतरित करने से पहले, याचिकाकर्त्ता के स्थानांतरण का काई आदेश जारी नहीं किया गया था और केवल दिनांक 11.01.2017 के उत्तरवर्ती आदेश द्वारा उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भी हो, जिस कर्मचारी को एक स्थान पर लगभग दस साल तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी, उसे अब उसकी सेवा के अंतिम छोर पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मेरी राय में, लाभ, सही या गलत तरीके से, जो प्रतिवादी राज्य द्वारा याचिकाकर्त्ता को दिया गया है, यदि कुछ और महीनों तक जारी रहता है, तो इससे किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को कार्य स्टेशन, टुंडी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से 31.10.2017 को सेवा से उसकी आसन्न सेवानिवृति के मद्देनजर।

5. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 11.01.2017 की अधिसूचना में निहित आदेश, जहाँ तक, यह याचिकाकर्त्ता से संबंधित है, खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)